सूचना के अधिकार का व्यावहारिक परिचालन

*** डॉ. प्रवेश कुमार पाण्डेय**

सूचना का अधिकार अधिनियम ने बहुत से लोगों के मन में आशा के अंकुर उगाए है। इसे सही ढंग से काम में लाना ही अब आगे का काम है। सुश्री अरूणा राय, जिनके मजूदर किसान शक्ति संगठन ने सर्वप्रथम इस कार्य को हाथ में लिया, का विचार है कि एक ऐसा मंच बनाया जाना चाहिए, जिससे देश भर में लोग सामाजिक लेखा परीक्षा के समय की कसौटी पर खरे उतरे और से सूचना के अधिकार का लाभ उठा सकें। उन्होंने विश्व बैंक से भी उसकी सार्वजनिक महत्त्व की परियोजनाओं का खुलासा करने की नीति की समीक्षा की मांग की है। राज्यों में जनता, मीडिया, स्वयंसेवी संगठनों, पंचायती राज के प्रतिनिधियों आदि द्वारा मांगी गई सूचना देने के लिये उनके विभागों में आवश्यक आधारभूत संरचना तैयार करने की प्रक्रिया अभी चल रही है। केन्द्र और राज्य दोनों को अपनी नौकरशाही को प्रशिक्षण देने का कार्य शुरू कर देना चाहिए, जिससे वे सूचना के अधिकार कानून की अपेक्षाओं के अनुसार अपने को तैयार कर सकें और उन्हें इसकी प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझाया जा सके। नौकरशाही को सूचना रोके रखने की अपनी वर्तमान प्रवृत्ति को त्याग कर सूचना के निर्बाध प्रावाह की ओर बढ़ाना होगा। सूचना के अधिकार पर यदि प्रभावी ढंग से अमल हुआ तो इससे लोगों को जानकारी मिलेगी। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने इस कानून को बनाकर आम आदमी के प्रति अपनी चिंता जाहिर कर दी है। इसका एक महत्त्वपूर्ण भाग है, अनुच्छेद 8(2) जो वचन देता है कि इस राज्य के सूचना विधान से किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता।

भेद खुलने के बाद क्या?—पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर के एक सड़क की स्थिति बहुत खराब थी। पाण्डव नगर के निवासियों ने सूचना का अधिकार अधिनियम का उपयोग कर जानना चाहा कि विगत तीन वर्षो से उस सड़क की कब मरम्मत कराई गई थी। उन्हें तब गहरा धक्का लगा जब उन्हें बताया गया कि उक्त सड़क की एक महीने पहले मरम्मत कराई गई थी और पिछले तीन वर्षो में उसकी सात मर्तबा मरम्मत कराई जा चुकी है। यह धोखाधड़ी थी, क्योंकि विगत अनेक वर्षो में उस सड़क की मरम्मत नहीं कराई गई थी। स्टॉक रजिस्टर में उस सड़क की 'मरम्मत' के लिए बार—बार सामानों की निकासी दर्ज थी। लोगों ने उस इलाके के उपायुक्त, सीबीआई तथ अन्य अनेक सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसियों मं इसकी शिकायत की, लेकिन कुछ न हुआ, एक जांच तक नहीं कराई गई। परिवर्तन के दिल्ली के दो इलाकों में दिल्ली नगर निगम द्वारा कराए गए सभी कामों की प्रतिलिपि हासिल की। इनसे बेहद आश्चर्यजनक स्थिति का खुलासा हुआ। 29 इलेक्ट्रिक मोटर के लिये भुगतान नहीं किया गया था। जिनमें से वास्तव में केवल 15 आए थे। कुल मिलाकर 1.3 करोड़ रूपये के 68 ठेकों की जांच की गई जिनमें से 70 लाख रूपये मूल्य की सामग्री नदारत थी। यह रिपोर्ट मुख्य मंत्री, मुख्य सचिव, निगमायुक्त, सी.बी.आई, पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधी शाखा तथा अन्य अधिकारियों को भेजी गई। लेकिन अगले डेढ़ वर्षो में किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके बाद जब परिवर्तन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की तो दिल्ली नगर निगम ने न्यायाल को बताया कि उन्होंने परिवर्तन द्वारा लाए गए आरोपों की स्वयं जांच कराई जिसमें इसके सभी आरोप निराधार पाए गए थे। इस पर माननीय न्यायाधीशों में से एक ने पूछा कि किसी चोर ने अपनी जांच के लिए कैसा कहा जा सकता है? न्यायाल ने दिल्ली पुलिस को तफसीर कर छह महीने के भीतर दोषी कर्मचारियों के खिलाफ चार्जशीट दायर करने का आदेश दिया। लेकिन कितने लोग और संगठन दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते है? क्षोभजनक पहलू यह है कि समूची भ्रष्टाचार निरोधी संरचना अपने भ्रष्टाचार को रोकने में असफल साबित हुई है और जब लोग भ्रष्टाचार की रिपोर्ट लेकर आते है तो पूरा तंत्र जांच कार्य करने को रफा—दफा करने में लग जाता है।

सूचना का अधिकार अधिनियम का उपयोग कर शैलेश गांधी ने मुंबई में एक के बाद एक आने वाली सरकारों द्वारा सार्वजनिक भूमि को विभिन्न निजी निकायों को बांटने का घोटाला खोज निकाला। ये आबंटन जनहित के कार्यो के लिये नहीं थे। मुंबई कलेक्टर, मुंबई उपनगरीय कलेक्टर तथा नगर निगम द्वारा लगभग 2 करोड़ वर्गमीटर भूमि पट्टे पर दी गई है। इससे वार्षिक रूप से लगभग 28 करोड़ रूपये का किराया प्राप्त होता है, अर्थात् 14 रूपये प्रतिफीट प्रतिवर्ष किराया। बाजार मूल्य पर इनसे 4,000 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष किराया प्राप्त होता है। एमएचडीए तथा मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध जानकारी से भाई—भतीजावाद और भ्रष्टाचार की आश्चर्यजनक तस्वीर उभरकर सामने आती है। परिसंपत्तियों को औने—पौने भाव किराये पर दिया जा रहा है। लेकिन यही काफी नहीं, कुछ लाभग्राहियों को अपनी परिसंपत्तियां बेचने की अनुमति दी जा रही है। यह कल्पना से परे है कि कोई पट्टाधारी या किरायेदार कैसे किसी भूखण्ड को बेच सकता है। जिसका स्वामित्व ही उसके पास नहीं है। मिलों की भूमि साहित्य नागरिकों की परिसंपत्तियों को लोक सेवकों की जानकारी और मिलीभगत से बेचा जा रहा है। उनका आचरण आपराधिक दुराचार की श्रेणी में आता है। मुम्बई के केवल इन तीन प्राधिकरणों से होने वाली राजस्व हानि कुछ हजार करोड़ रूपये में पहुंच सकती है। समूचे

*** सहायक प्राध्यापक, राजनीति विज्ञान विभाग, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.)**

महाराष्ट्र में यह क्षति 10,000 करोड़ रूपये के करीब होगी। लेकिन दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की तो बात ही छोड़ दें, महाराष्ट्र सरकार ने इस स्थिति को बदलने अथवा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये शायद ही कोई कार्यवाही की है।

सूचना प्राप्त करने में आने वाली समस्याएं :—ऐसा नहीं है कि लोगों को सरकार से मांगते ही सूचना मिल जाती है। प्रायः उन्हें नौकरशाही के भारी विरोध का सामना करना पड़ता हैं। अधिकारीगण हर तरह के बहाने बनाकर सूचना देने से इंकार करते है। असंतुष्ट होने पर लोग जन शिकायत आयोग के पास जा सकते है। इस आयोग को दिल्ली सूचना का अधिकार अधिनियम में अपीलीय निकाय घोषित किया गया है। कार्यपालिका के आदेश के द्वारा दिल्ली सरकार ने जन शिकायत आयोग को दंण्ड निर्धारित करने का अधिकार दिया हैं जिसे अधिनियम का उल्लघंन करने के दोषी कर्मचारियों के वेतन से काट दिया जाएगा। आयोग को अब तक 1,300 से ऊपर याचिकाएं प्राप्त हो चुकी है। स्पष्टतः इन सब मामलों में अधिनियम का उल्लघंन करने के आरोप थे। इनमें से 70 प्रतिशत से अधिक मामलों में लोगों के पक्ष में निर्णय दिया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि आरोप सही पाए गए। लेकिन अब तक एक भी अधिकारी को दण्डित नहीं किया गया है। आयोग की अध्यक्ष किसी भी अधिकारी को दण्डित करने से इंकार कर देती है। फलस्वरूप, दिल्ली की नौकरशाही को यह संदेश मिल गया है कि यदि सूचना नहीं भी हो तो भी आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है।

2.ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य :—गत 13 अक्टूबर 2005 के दिन यह आजादी के बाद की एक ऐतिहासिक घटना का साक्षी बना। उस दिन व्यावर और उसके आसपास के लोग यहां सूचना का अधिकार अधिनियम बनने और लागू होने के उपलक्ष्य में जमा हुए थे। लोग इस अधिनियम के लिये चले आंदोलन के ब्यावर के आमोखास की भूमिका को लेकर गौरवान्वित महसूस कर हरे थे। व्याववासियों को यह समझने में थोड़ी देर लगी कि आंदोलनकारियों की मांग शासन व्यवस्था में सहभागिता का प्रभावी उपकरण बन सकता हैं आमतौर पर कहा जाता है कि गरीबों को स्वतंत्रता और जनतंत्र जैसी चीजों से क्या मतलब, उन्हें तो केवल भोजन चाहिए। फर्क केवल यह है क गरीब इस सच्चाई को औरों से बेहतर तरीके से जानते है। साथ ही उन्हें यह भी मालूम है कि उन्हें एक ऐसे मंच की जरूरत है जहां से वे इन बुनियादी जरूरतों के अभाव का विरोध कर सकें। वस्तुतः निर्धन लोक ही प्रजातंत्र, चाहे वह कितना ही भदेस क्यों न हो, का असली महत्त्व जानते हैं। उन्हें मालूम है कि शताब्यिों से उनके पास जितनी ताकत थी उससे कहीं ज्यादा राजनीतिक शक्ति उन्हें पांच वर्षो में एक बार मतदान के अधिकार से मिलती है। इन्हीं लोगों ने संविधान में उल्लेखित एक—एक स्वतंत्रता के लिये लड़ाई लड़ी है। उन्हें ज्ञात है कि अभिजनों की आवाज किसी भी व्यवस्था में सुनी जाएगी। लेकिन गरीब और वंचितों को अपने दुखड़े सुनाने का हक केवल प्रजातंत्र में ही मिल सकता है।

जन प्रतिक्रियाः—संगठन को पारदर्शिता तथा सूचना के अधिकार के महत्त्व की समझ एक सरकार समर्थित रोजगार कार्यक्रम में संवैधानिक न्यूनतम मजदूरी के भुगतान के लिये संघर्ष करने के क्रम में आई। इस कार्यक्रम के दौरान मजदूर जब भी न्यूनतम मजदूरी की मांग करते, उन्हें बताया जाता कि दस्तावेजों के अनुसार उन्होंने अभी अपना काम पूरा नहीं किया है। मजदूर—किसान शक्ति संगठन ने जब उनसे रिकार्ड दिखाने के लिये, कहा तो उन्हें जबाव दिया गया कि ये सरकारी दस्तावेज है, इसलिये, गोपनीय है। इस तरह न्यूनतम मजदूरी की एक छोटी सी मांग सूचना का अधिकार आंदोलन का आधार बनी। अप्रैल 1996 में ब्यावर में जब यह आंदोलन आरंभ हुआ उन्हीं दिनों देश में संसदीय चुनाव प्रचार आरंभ हो गया था। इससे नागरिकों को भारतीय राजनीति के उस दु चक्र को भी समझने में सहूलियत हुई जिसमें उन्हें अयोग्य उम्मीदवारों में से किसी एक को चुनने के लिये मजबूर होना होता था। धरने के दौरान ब्यावर पहुंचे पत्रकार निखिल चक्रवर्ती ने अपने एक भाषण में कहा कि यह संघर्ष एक दूसरी आजादी के संघर्ष जैसी है। स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं ने हमें बताया था कि किस तरह हमारी धन दौलत विदेशी शासक लूट कर ले जा रहे थे। यह आंदोलन, उन्होंने कहा, हमें वह मार्ग दिखाता है जिससे देशी शासकों की लूट का खुलासा किया जा सके। इतने बड़े देश में इस छोटे से आंदोलन के लिये ये नाटकीय शब्द थे। लेकिन चक्रवर्ती जी ने इस आंदोलन में निहित संभावनाओं को देख लिया था। वह समझ चुके थे इसके जरिये आम लोगों की व्यवस्था की खामियों को दूर करने के लिये सशक्त बनाया जा सकता है।

स्वशासन की दिशा में पहला कदम :—1996 के ब्यावर धरने के फलस्वरूप तात्कालिक रूप से यह मांग प्रबल हुई की नागरिकों को स्थानीय स्वशासी निकायों के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने के लिये पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन किया जाए। इसमें खासतौर पर खर्चे संबंधी बिल और शासन के समस्त क्षेत्रों को सूचना का अधिकार देने के लिये एक व्यापक अधिनियम बनाने की मांग भी की गई। सूचना का अधिकार आंदोलन की इस सोची—समझी रणनीति के तहत हर छोटी सफलता को अधिकाधिक पारदर्शिता हासिल करने का उपकरण बनाया गया। लेकिन सरकारी दस्तावेजों तक पहुंचने के जनता के प्रयासों को काफी विरोध झेलना पड़ा। उदाहरण के लिये, पंचायतीराज कानून में संशोधन में लगभग दो वर्ष लग गए। किन्तु प्रतिरोध का सकारात्मक असर ही हुआ। अधिकाधिक लोगों को ऐसे वैधानिक अधिकार की जरूरत और उसकी संभावना समझ में आने लगी। राजस्थान को सूचना का अधिकार कानून पारित करने के कुछ वर्ष और लग गए। उस कानून में भी अनेक कमियाँ थी। और एक तरह से वह दंतहीन था। इसके बावजूद कानून का पारित होना भर ही अपने में जनता की विजय थी। आखिरकार, लोक कार्य के बारे में सूचना मांगने पर उसे असंभव अव्यावहारिक और अकल्पनीय मानने वाली व्यवस्था ने एक व्यापक वैधानिक अधिकार को स्वीकार कर लिया था। सूचना के अधिकार का एक दूसरा पहलू भी था जिससे इसका नैसर्गिक विकास संभव हुआ। वस्तुतः विभिन्न सरकारी दस्तावेजों तक पहुंच के

अधिकार में अनेक जनतांत्रिक सिद्धांतों की शक्ति निहित थी। इसके साथ–साथ एक ऐसे मंच की तलाश भी जारी थी जिससे इसकी व्यवर्हाता को प्रदर्शित किया जा सके और स्वशासन के प्रकल्पों को संस्थानिक स्वरूप प्रदान किया जा सके।

क्रियान्वयनः–विभिन्न राज्यों द्वारा पारित सूचना के अधिकार में अनेक खामियाँ थीं जिनकी वजह से उनका क्रियान्वयन कठिन था। लेकिन उन राज्यों में इनके प्रयोग को लेकर कार्यकर्ताओं के नवोन्मेंश और प्रतिबद्धता के कारण आंदोलन में तेजी आई। नागरिकों की जागरूकता और बढ़ी तथा जिन राज्यों में यह कानून पास हो चुका था वहाँ उन्होंने इसके लिये अपनी मांग तेज कर दी। कर्नाटक में सूचना का अधिकार फोरम का गठन कर नागरिक इसके तहत इकट्ठा हुए। इन नेटवर्क ने केवल राज्य स्तरीय अधिनियम से जुड़े मुद्दे उठाए, बल्कि वे राष्ट्रीय अधिनियम उसके प्रावधानों के क्रियान्वयन तथा राज्यों में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के प्रति त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया के साथ तैयार थे। सूचना के अधिकार का एक दूसरा पहलू भी है। यह सूचना के प्रयोक्ता को भी पारदर्शिता तथा जवाबदेही का समान मानक अपनाने के लिये बाध्य करता है। राजस्थान में सूचना के अधिकार की मांग जब प्रबल हुई तो राजनीतिक व्यवस्था ने अपने विभिन्न मंचों से स्वयंसेवी तथा नागरिक संगठनों से अपने लेखों का खुलासा करने की मांग की। निश्चय ही इससे एक स्वस्थ परंपरा की शुरूआत हुई और पारदर्शिता बैठकें आयोजित की जाने लगी जिनमें स्वयंसेवी संगठन अपने कार्यक्षेत्र के लोगों के सम्मुख करने की मांग की।

अभियान, आंदोलन तथा सूचना का अधिकार :– सूचना का अधिकार आंदोलन ने हमेंशा यह स्वीकार किया कि उसकी ताकत अन्य आंदोलनों के साथ उसके घनिष्ठ संबंध में निर्हित है। इस परस्पर सहकारी रिश्ते से ही इसे रचनात्मकता और ताकत मिलेगी। अब अनेक नागरिक संगठन अपने संघर्ष में सूचना के अधिकार को हथियार के रूप में प्रयुक्त कर रहे है। उदाहरण के लिये राजस्थान के महिला आंदोलन ने इसका प्रयोग महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों में हुई प्रगति जानने के लिये किया। उन्होंने मांग की कि पीड़ित महिलाओं को उनके मामलों में हुई प्रगति तथा विभिन्न चिकित्सकीय कानूनी और फोरेंसिक रिपोर्टो की जानकारी दी जाए। देश भर में अनेक नागरिक स्वतंत्र और मानवधिकार समूह भी अब पुलिस और जेल प्रशासन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये सूचना का अधिकार सिद्धांत का प्रयोग कर रहे है। बांधों और कारखानों के द्वारा उजड़े लोग, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग से प्रभावित लोग अपने खेतों और घरों से उजड़े वनवासी–ये सभी अपने अधिकार सुनिश्चित करने के लिये सूचना के अधिकार का प्रयोग कर रहे है। अधिकतर मामलों में अब भी निर्धारित समय सीमा अथवा अपेक्षित तरीके से सूचना नहीं उपलब्ध कराई जा रही है। कुछ प्रकरण तो ऐसे भी है जहां सूचना एकदम उपलब्ध नहीं कराई जा रही। लेकिन अब लोगों को मांगी गई सूचना देने से एकदम इंकार कर देना लगभग असंभव हो गया है।

भारत में सूचना के अधिकार अभियान का प्रभाव उसके तात्कालिक परिप्रेक्ष्य से काफी दूर तक प्रक्षेपित हुआ है। जन सुनवाईयाँ सामाजिक लेखा परीक्षा द्वारा सूचना के अधिकार को सांस्थानिक स्वरूप मिलने, कुछ मामलों में शानदार कार्यवाही होने और इस तथ्य के आलोक में सूचना के अधिकार से कोई भी व्यक्ति भविष्य में किसी भी प्राधिकारी के कुकृत्यों की जांच स्वयं प्रपत्रों की जांच करके कर सकता है, मौजूदा भ्रष्टाचार के माहौल पर नाटकीय और विस्मयकारी असर हुआ है। उदाहरण के लिये 2001–2002 के दौरान राजस्थान में 600 करोड़ रूपये के सूखा राहत कार्य में भ्रष्टाचार का स्तर कम रहने में सूचना के अधिकार अभियान के योगदान को सबने स्वीकार किया है।

लेकिन जब हम आखिरी तौर पर विश्लेषण करते हैं तो जाहिर होता कि सूचना के अधिकार की सफलता भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों को सजा देने या उनका भाडाफोड़ करने पर नहीं निर्भर करती। राष्ट्र और समाज दण्डात्मक कार्यवाहियों से ही नहीं चलते। अतः जब इस कानून की कामयाबी का अंतिम विश्लेषण किया जाएगा तो देखा जाएगा कि यह इस हद तक प्रतिरोधक था किस हद तक यह भ्रष्टाचार रोकने में कामयाब रहा और इसने कुशल और सतर्क सुशासन को कितना बढ़ावा दिया। कोई सरकार तभी पारदर्शी कही जा सकती है जब उसके सारे कर्मी इस तरीके से काम करें कि उनके कार्यो के पीछे निहित सिद्धांत जनता की हर कसौटी पर खरे उतरें। यही उनका स्पष्ट लक्ष्य होना चाहिए। हाल ही में संसद पारित सूचना के अधिकार कानून में सूचना के अधिकार को दायर काफी व्यापक बनाया गया है। सबसे पहली बात तो यह है कि यह कानून सभी स्तरों पर लागू होता है। केन्द्र सरकार व उसके विभिन्न उपक्रमों पर, स्थानीय स्वायत संस्थाओं नगर निगमों व पंचायतों पर।

दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सूचना की परिभाषा भी बहुत व्यापक ढंग से की गई है। इसमें विभिन्न तरह के रिकार्ड, दस्तावेज ई–मेंल सलाह, आदेश, अनुबंध रिपोर्ट सैम्पल, आंकड़े, आदि सम्मिलित है। यहां तक कि सड़क जैसे निर्माण कार्य की गुणवत्ता जांचने के लिये उसका छोटा सा सैम्पल भी प्रमाणिक तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। इस अधिकार के अंतर्गत रिकार्ड या दस्तावेज या कार्य निरीक्षण किया जा सकता है, उसके नोटिस लिये जा सकते है रिकार्ड या दस्तावेज की सत्यापित प्रति प्राप्त की जा सकती है। डिस्क, फ्लॉपी, टेप, वीडियो, प्रिंट–आउट आदि के रूप में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसकी तीसरी व्यापकता यह है कि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूप से निजी क्षेत्र की जानकारी लेने का हक भी इस कानून में जोड़ दिया गया है। उदाहरण के लिए यदि किसी निजी उपक्रम या संस्था को अधिकांश वित्तीय योगदान सरकार से प्राप्त होता है तो उससे भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है विभिन्न कानूनों के अंतर्गत जो निजी क्षेत्र संबंधी जानकारी विविध सरकारी एजेंसियों के पास रहती है (या प्राप्त की जा सकती है) वह जानकारी भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत नागरिकों को प्राप्त हो सकती, हालांकि इसकी प्रक्रिया कुछ जटिल है।

व्यापकता का एक अन्य पक्ष है कि वैसे तो कानून में भी

कुछ गिने–चुने विषयों पर जानकारी देना प्रतिबंधित है, पर इनमें से कई विषयों के बारे में भी यह विशेष प्रावधान जोड़ दिया गया है कि यदि लोकहित में इनमें से कुछ जानकारियाँ देना बहुत जरूरी हो जाए तो वे जानकारियाँ भी दी जा सकती है। प्रतिबंधों के बीच एक अन्य मार्ग की दी गई जानकारी या दस्तावेज का कुछ ही हिस्सा प्रतिबंध को क्षेत्र में जाता है तो शेष जानकारी दे दी जाएगी व साथ ही बताया जाएगा कि अन्य जानकारी क्यों नहीं दी जा सकती।

प्रायः गुप्चर व सुरक्षा को सूचना के अधिकार के दायरे से बाहर रखा जाता है पर इस कानून में एक विशेष प्रावधान है कि यदि मानवधिकार या भ्रष्टाचार का मामला है तो इन एजेंसियों संबंधी जानकारी भी सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त की जा सकती है। इस कानून की व्यापकता का एक अन्य उदाहारण है कानून की यह घोषणा कि कोई जानकारी यदि संसद या विधानसभा/विधान परिषद को दी जा सकती है तो इस अधिकार के अंतर्गत सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को भी दी जा सकती है।

सूचना का अधिकार कानून के अंतर्गत सभी लोक प्राधिकारों को बहुत सी जानकारी प्रकाशित करने को कहा गया है। इस जानकारी में लोक प्राधिकारों के कार्य जिम्मेंदारियाँ कार्यपद्धति अधिकारियों के काम व उनके वेतन भत्ते का विवरण सम्मिलित होंगे। लोक प्राधिकारी के बजट विभिन्न योजनाओं उनके लिये उपलब्ध वास्तविक खर्च आदि की जानकारी भी प्रकाशित होगी।यदि लोक प्राधिकारी किसी तरह की सब्सिड़ी, छूट, परमिट आदि देते है तो उन्हें उनका विवरण देना होगा। लोक प्राधिकारी द्वारा गठित समितियाँ बोर्ड का विवरण देना होगा व उनकी मीटिंग के रिकार्ड भी सार्वजनिक तौरपर उपलब्ध होने चाहिये। लोक प्राधिकारी संबंधी जी जानकारी कम्प्यूटर पर उपलब्ध है वह पुस्तकालय वाचनालय की क्या व्यवस्था लोगों के लिये की गई है यह विवरण भी देना होगा। इसे प्रकाशन कर हर वर्ष नवीनीकरण किया जाएगा। प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा महत्त्वपूर्ण नीतियाँ बनाते समय या लोगों को प्रभावित करने वाले निर्णय घोषित करते समय इनसे संबंधित तथ्य प्रकाशित करने होंगे व प्रभावित लोगों को महत्त्वपूर्ण निर्णयों के कारण बताने होंगे। इस तरह बहुत सी जानकारियाँ लोक प्राधिकारियों को स्वयं लोगों द्वारा कोई मांग किए बिना भी उपलब्ध करवानी होगी।

इस प्रकार स्पष्ट है कि कुल मिलाकर सूचना के अधिकार के नये कानून में अधिकार का दायरा काफी व्यापक रखा गया है। पर कानून में चाहे कुछ भी लिखा हो जब व्यावहारिक तौर पर वह अमल में आए। वर्तमान संदर्भ में जरूरी यह है कि लोगों को सरलता में व बार–बार चक्कर लगाने की जरूरत पड़े बिना विधिसम्मत तरीके से जानकारी मिले। राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के 120 दिन बाद यह कानून 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो चुका है। अब आम लोग इस कानून के अंतर्गत जानकारी प्राप्त कर सकते है, लेकिन इतना व्यापक लगने वाला यह कानून व्यवहार में कितना असरदार है।

सन्दर्भ–

* B. Ramesah Babu and S. Gopalakrishna, ed**., Information, Communication, Library and Community* Development** : Fesatschrift Volume from Prof. CP Vashist, BR Publishing, New Delhi 2004.* Alex Byrne, ***"Freedom of Accesas to Information and Freedom of Expresasion in a Pluralistic World"***, IFLA Journal, 25(4), 1999. *Alex Byrne, ***"Towards a World of Free Accesas to Information and Freedom of Expresasion"*** IFLA Journal, 25(4), 1999. * Vikram K. Chand, **Legislationg Freedom of Information : India in Comparative Perspective,** Commonwealth Human Rights Initiative, 2000-01. * Rajeev Dhavan, "**On the Law of the Presas in India", **JILI, 290 (1984).* Thomas J. Froehlich, ***"Intellectual Freedom, Ethical Deliberation and Code of Ethics"***, IFLA Journal, 26(4), 2000. * Madhav Godbole, ***"Right to Information : Write the Law Right"***, EPW Commentry, 2000. * Terri L. Holtze & Hannelore B. Rader, ***" Intellectual Freedom : 2000 and Beyond"***, Reference Servicesa Bureau, 28(I), 2000. * IASLIC XVIII National Seminar, Right to Information, Calcutta : IASLIC, 1998 * MP Jain & SN Jain, ***Principlesa of Administrative Law*** (1998).* O.P. Kejriwal, ***"Right to Information Act" Loopholesa and Road Ahead"***, EPW Commentry,18 March 2006. * O.P. Kejriwal, **"Right to Information Act** : Loopholesa and Road Ahead", EPW Commernty, 18 March 2006.*Harsh* Mander & Esatelle Feldman, **Accesas to Information in Developing Countriesa**, Transparency International, 1998.* Toby Mendel, **"Freedom of Information as an Internationally Protected Human Right"** *http:www.article19.org/docimagesa/627.htm *NeelabhMishra, **"A Battle Half Won : Right to Information",** Combat Law, 1 Feb. 2003. *Oulac Niranjan, **"Right to Information and the Road to Heaven",** EPW Commentry, 19 Nov. 2005.* Shruti Pandey, **"Freedom of Information"** (Editorial), Combat Law 1 Feb. 2003. * M. Vijayakumar & JK Vijayakumar, "**Right to Information and Freedom of Expresasion",** manjuvk@yahoo.com, vijay@inflibnet.ac.in*J.K. Vijayakumar & Manju Vijayakumar, **"Information Freedom in a Democratic Society and the role of Librarians in Cyber Era".** Proceedings of National Seminar on Information Policiesa and Cyber Laws, Bangalore, 4-6 Dec. 2000.* Bulent Yilmaz, "**The Right to Information " Is it possible for Developing Countriesa",** 64th General Conference, 16-21 Aug. 1998 http://www.ifla.org/IV/ifla64/059-86e.htm* http://www.pucl.org/from-archivesa/Media/freedom.htm* http://www.worldpresas.org/Asia/1014.cfm* http://www.ala.org/alaorg/oif/intellectualfreedomandcensorship.html * http://www.flonnet.com/fl2001/storiesa/20030117002710000.htm